

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 2038  
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वास्तविक समय जल गुणवत्ता सूचकांक निगरानी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

†2038. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के समान जल गुणवत्ता सूचकांक (डब्ल्यूक्यूआई) की गणना करने और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए कोई मानकीकृत तंत्र है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या वर्तमान में शहर, जिला या वार्ड स्तर पर डब्ल्यूक्यूआई की निगरानी की जाती है और उसे समयबद्ध एवं विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उन शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण आवासों की संख्या कितनी है जहाँ नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है;
- (घ) क्या उक्त परीक्षणों के परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ड) क्या सरकार का विचार डिजिटल डैशबोर्ड, आईओटी-आधारित सेंसर और नागरिक फीडबैक के साथ एकीकृत एक वास्तविक समय डब्ल्यूक्यूआई रूपरेखा बनाने का है और यदि हाँ, तो कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) क्या जल सुरक्षा मानकों के साथ स्थानीय जुङाव बनाने के लिए किसी जन जागरूकता पहल या स्कूल/समुदाय-आधारित परीक्षण कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री वी. सोमण्णा)

- (क) जी, नहीं।
- (ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) और (घ) अमृत प्रभाग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल राज्य का विषय होने के कारण, शहरी क्षेत्रों में लागू मानकों (पेयजल

के लिए बीआईएस 10500:2012 मानक और सीपीसीबी द्वारा निर्धारित अपशिष्ट जल गुणवत्ता मानदंड) के अनुसार जल गुणवत्ता तथा जल निकायों का प्रबंधन और रखरखाव राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है। अमृत/अमृत 2.0 में जल गुणवत्ता के लिए अलग से दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, मिशन के दिशानिर्देशों में शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता मानकों की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जल जीवन मिशन-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पर सूचित किए गए अनुसार, 2025-26 के दौरान अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमशः जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं में 3.92 लाख गांवों के 24.89 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया है और सूचित किया गया है तथा फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके 1.52 लाख गांवों के 21.92 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया है और सूचित किया गया है।

गांव-वार जल गुणवत्ता परीक्षण सूचना जेजेएम डैशबोर्ड पर 'सिटीजन कॉर्नर' के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाती है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://ejalshakti.gov.in/jmreport/JJMIndia.aspx>

डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण के ब्यौरे निम्न लिंक पर देखे जा सकते हैं:

<https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report>

(ङ) प्रश्न के अभिप्राय के आधार पर यह सूचित किया जाता है कि वायु अपनी परिवेशी गुणवत्ता से बिना किसी उपचार/पॉलिश किए सीधे श्वास (खपत) में ली जाती है, जबकि दुर्लभतम मामलों में जल का सीधे उसी रूप में उपयोग किया जाता है जैसे यह प्रकृति में पाया जाता है। लगभग सभी मामलों में इसे पीने योग्य बनाने के लिए इसका प्राथमिक शोधन/कीटाणुशोधन किया जाता है और इसलिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल पर आधारित डब्ल्यूक्यूआई पर इस समय इस विभाग द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

(च) जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अनेक पहलों की हैं। इन पहलों में महिला फील्ड परीक्षण किट (एफटीके) उपयोगकर्ताओं द्वारा आयोजित ग्राम-स्तरीय जल परीक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व और जल गुणवत्ता तथा समग्र स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है। इसके अतिरिक्त, विभाग सक्रिय रूप से स्कूल/आंगनवाड़ी केंद्र के छात्रों को उनकी संस्थाओं में जल गुणवत्ता परीक्षण करने में शामिल करता है। इन प्रयासों में सहायता करने के लिए, विभाग ने विशेष रूप से स्कूल और आंगनवाड़ी छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे प्रशिक्षित महिला एफटीके उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित सहायता प्रदान करने सुविधाजनक बनाया जाता है। यह कार्यक्रम न केवल आवश्यक कौशल प्रदान करके छात्रों को सशक्त बनाता

है बल्कि उनके समुदायों में जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के अमृत प्रभाग द्वारा भी सूचित किए गए अनुसार, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जल गुणवत्ता परीक्षण और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित और लाम्बंद किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत "अमृत मित्र" पहल जल क्षेत्र में एसएचजी और महिला सशक्तिकरण की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। इन समूहों को फील्ड परीक्षण किटों का उपयोग करके पारिवारिक-स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह विकेन्द्रीकृत निगरानी जल गुणवत्ता के बारे में स्थानीय जागरूकता का प्रसार करती है और निवासियों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*